न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व अपील सं. 01/2023

पीठासीन अधिकारी –श्री सूरजभान विश्नोई, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 75 RLR Act

अनवान अपीलाण्ट – 1. चूकी पत्नि खेमा पुत्री गुमनाराम
जाति जाट, निवासी निहालाणियों का टोवा
तहसील रामसर, जिला बाड़मेर
2. फगलूदेवी पत्नि शिवदानराम पुत्री गुमनाराम
जाति जाट, निवासी जाटों की बस्ती, केरनाडा
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

उतरदातागण – 1.सरपंच जरिये ग्राम पंचायत लीलसर
2. गुमनाराम पुत्र गेनाराम, जाति जाट
निवासी शेरपुरा (लीलसर), तहसील चौहटन
3. परमेश्वरी पत्नि वगताराम पुत्री गुमनाराम,
जाति जाट, निवासी जाटों का बेरा (सारला)
हाल निवासी शेरपुरा (लीलसर), तहसील चौहटन

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

अधिवक्तागण – अपीलाण्ट वकील – **श्री रामजीवन विश्नोई**
उतरदातागण वकील – **एकतरफा**

निर्णय

दिनांक :– 21.03.2024

अपीलाण्ट द्वारा पेश अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट एवं उतरदाता सं. 2 से 3 पूर्व पुरूष गेनाराम के वारिसान है। अपीलाण्ट एवं उतरदाता सं. 3 के दादा एवं उतरदाता सं. 2 के पिता स्व.गेना की [illegible] पुश्तैनी कब्जा काश्त की भूमि मौजा शेरपुरा (लीलसर), तहसील चौहटन में खसरा [illegible] 299/29 रकबा 00.1862 हैक्टयर (01.03बीघा), खसरा सं. 295/21 रकबा 08.7080 हैक्टयर (53.16बीघा), खसरा सं. 287/21 रकबा 08.8707 हैक्टयर (54.16 बीघा), खसरा सं. [illegible] रकबा 00.1457 हैक्टयर [illegible].18 बीघा) भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.05.09 17:40:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

में जारी हुए

स्थित है। वर्तमान मे खसरा सं 299/29, 295/21, 18 उतरदाता सं 2 एवं खसरा सं 287/21 उतरदाता सं 3 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

उपरोक्त आराजी उतरदाता सं 2 की स्वअर्जित न होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 06 के अनुसार सहदायिकी सम्पति है। जिसमें पुत्रों व पुत्रियों की भी सहदायिकी है, जिसमें पुत्रो के बराबर पुत्रियों का भी हिस्सा बनता है ।

इस प्रकार वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेन्ट अपीलांटा एवं उतरदातागण सं 2 व 3 के पूर्व पुरूष गेना के नाम दर्ज थी,गेना के फौत होने पर वादग्रस्त आराजी गेना के पुत्र उतरदाता सं 2 गुमनाराम के नाम दर्ज हुई, इस प्रकार वादग्रस्त आराजी उतरदाता सं 2 गुमनाराम को अपने पिता की सम्पति विरासत से प्राप्त हुई। विरासत में प्राप्त इस सहदायिकी सम्पति में गुमनाराम के समस्त पुत्रों एवं पुत्रियों के अधिकार जन्म से ही अपने पिता के बराबर पैदा हो गये है और इस प्रकार उपरोक्त वादग्रस्त सहदायिकी आराजी पुश्तैनी होने से अपीलांटा का 1/5 हिस्सा उतरदाता सं. 2 का 1/5 हिस्सा, उतरदाता सं. 3 का 1/5 हिस्सा खातेदारी में बनता है, इसी अनुसार पक्षकार अपने अपने हिस्से पर काबिज है।

उतरदाता सं. 2 द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 287/21 रकबा 08.8707 हैक्टयर (54.16बीघा) में अपने 1/5 हिस्से से अधिक भूमि का उतरदाता सं. 3 को बिना अपीलांटा की सहमति से बक्सीस कर दी जबकि उतरदाता सं. 2 को अपने 1/5 हिस्से से अधिक भूमि का बक्सीस करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलांट स्व. गेनाराम की पौत्री है तथा स्व.गेनाराम की जायदाद पर उनका 1/5 हिस्सा बनता है, इसलिए वादग्रस्त भूमि जो स्व.गेनाराम की संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी उस पर अपीलांटा का भी हक बनता है किन्तु तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत लीलसर द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि के बक्सीस के संबंध में नामान्तरकरण पारित करते समय उतरदाता सं. 2 से मिलकर जानबूझकर अपीलांटा को उनकी पैतृक भूमि से बेदखल करने की नियत से उतरदाता सं. 2 ने वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 287/21 रकबा 08.8707 हैक्टयर (रकबा 54.16 बीघा) को उतरदाता सं. 3 को बक्सीस कर उसका नामान्तरकरण सं. 224 पारित किया है जो अपीलांटा के हक हकूकों के लिए प्रारम्भ से शून्य है।

इसलिए मौजा शेरपुरा (लीलसर) तहसील चौहटन में वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 287/21 रकबा 08.8707 हैक्टयर (54.16 बीघा) के संबंध में पारित नामान्तरकरण सं. 224 जो दिनाक 20.06.2019 को पारित किया गया उसे निरस्त फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 287/21 रकबा 08.8707(54.16 बीघा) में प्रत्येक अपीलान्ट का नाम भी 1/5 हिस्सा में सयुक्त रूप से दर्ज किया जाकर उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.05.09 17:40:21 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उतरदातागण को जरिये रजि.नोटिस तलब किया गया। उतरदातागण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए अतः उतरदातागण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली पेश हुई । अपीलाण्ट अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उतरदाता सं. 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि मौजा शेरपुरा (लीलसर) तहसील चौहटन में वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 287/21 रकबा 08.8707 हैक्टयर (54.16 बीघा) के संबंध में पारित नामान्तरकरण सं. 224 दिनांक 20.06.2019 को पारित करने से पूर्व अपीलान्टा को कोई नोटिस नहीं दिया गया और नही सुनवाई का अवसर दिया गया और न ही स्व.गेनाराम के विधिक वारिशान की जांच की गई और न ही उतरदाता सं. 2 के हिस्से की जानकारी ली गई, इस कारण अपीलाण्टा को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी नहीं हो सकी । अपीलाण्टा साधारण व कानून से अनभिज्ञ ग्रामीण महिला है जिसको नामान्तरकरण सं. 224 का कोई ज्ञान नहीं था, आज से 15 रोज पूर्व जब उतरदाता सं. 03 ने जमीन खाली करने की धमकिया दी तब पटवारी से सम्पर्क करने पर हल्का पटवारी ने कहा कि अपीलाण्टा का नाम राजस्व रेकर्ड में नहीं है तब अपीलाण्टा ने हल्का पटवारी से दिनांक 07.02.2023 को नकले मांगी तो उसी दिन नामान्तरकरण का सर्वप्रथम पूर्ण ज्ञान हुआ। अतः निवेदन है कि उतरदाता सं. 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि मौजा शेरपुरा (लीलसर) तहसील चौहटन में वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 287/21 रकबा 08.8707 हैक्टयर (54.16 बीघा) के संबंध में पारित नामान्तरकरण सं. 224 दिनांक 20.06.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलाण्ट अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि उतरदाता सं. 2 द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 287/21 रकबा 08.8707 हैक्टयर (54.16बीघा) में अपने 1/5 हिस्से से अधिक भूमि का उतरदाता सं. 3 को बिना अपीलांटा की सहमति से बक्सीस कर दी जबकि उतरदाता सं. 2 को अपने 1/5 हिस्से से अधिक भूमि का बक्सीस करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलांट स्व. गेनाराम की पौत्री है तथा स्व.गेनाराम की जायदाद पर उनका 1/5 हिस्सा बनता है, इसलिए वादग्रस्त भूमि जो स्व.गेनाराम की संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी उस पर अपीलांटा का भी हक बनता है किन्तु [illegible] ग्राम पंचायत लीलसर द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि के बक्सीस के संबंध में नामान्तरकरण पारित करते समय उतरदाता सं. 2 से मिलकर जानबूझकर अपीलांटा को उसकी पैतृक भूमि से बेदखल करने की नियत से उतरदाता सं. 2 ने वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 287/21 रकबा 08.8707 हैक्टयर (रकबा 54.16 बीघा) को उतरदाता सं. 3 को बक्सीस कर उसका नामान्तरकरण सं. 224 पारित किया है जो अपीलांटा के हक हकूकों के लिए प्रारम्भ से शून्य है। वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक अपीलाण्टा का नाम भी 1/5

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.05.09 17:40:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

हिस्सा में संयुक्त रूप से दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा, अतः निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी खसरा स. 287/21 रकबा 08.8707 हैक्टयर (54.16 बीघा) के संबंध में पारित नामान्तरकरण स 224 दिनांक 20.06.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि मौजा शेरपुरा (लीलसर) तहसील चौहटन में वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 287/21 रकबा 08.8707 हैक्टयर (54.16 बीघा) आई हुई थी, जिसके खातेदार उतरदाता सं. 2 गुमना पुत्र गेना द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि उतरदाता स 03 को जरिये बक्सीसनामा बक्सीस की गई। जो तहसीलदार चौहटन के कार्यालय में पजीकृत हुआ उक्त पंजीकृत बक्सीसनामा के अनुसार उतरदाता सं. 01 द्वारा नामान्तरकरण स 224 दिनाक 20.06.2019 पारित किया गया। जो सही किया गया। उतरदाता स. 01 द्वारा नामान्तरकरण पारित करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि / भूल नहीं की गई। यदि अपीलाण्ट का उक्त वादग्रस्त में कोई हक हिस्सा प्रभावित हो रहा है तो उसके लिए वह सक्षम न्यायालय में घोषणा का वाद पेश कर अपने हिस्से की घोषणा करवा सकती है।

इसलिए न्यायालय के मतानुसार उपरोक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में उतरदाता स 01 द्वारा नामान्तरकरण सं 224 दिनांक 20.06.2019 पारित किया गया। जो सही किया गया। इसलिए अपीलाण्ट की अपील सारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारीज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(सूरजभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.05.09 17:40:21 IST
Reason: SelfAttested